

1410  
20

५  
पगार की वसुल / वकील वाणिज्य अमुण



न्यायालय के पुकारे जाने पर न्याय तो वादीगण  
ना ही वकील वादीगण न्यायालय के लक्ष्य उपलब्ध  
हूँगे। अतः न्यायालय द्वारा वाद को अग्रदक्षिणी  
मदद बाधित में खारिज करवा हो पगाव की निफका -  
नुसार दाखिल करना हो न्यायालय के लक्ष्य हो

